न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

पैटीशन– राजस्थान जल सिंचन एवं निकस अधिनियम 1944
प्रकरण संख्या 02 / 2022.(GCMS : 2022/97)

1. **हरिकृष्ण,** ओम प्रकाश, श्याम कुमार व हंसराज पिसरान श्री लखुराम काश्तकारान चक 60 एफ श्रीकरणपुर
2. **गोबिन्द राम** पुत्र श्री देवी दयाल काश्तकारान चक 60 एफ श्रीकरणपुर
3. **कृष्णा बाई** पत्नी श्री देवीदयाल काश्तकारान चक 60 एफ श्रीकरणपुर
4. **गीता देवी** पत्नी श्री कृष्णा राम काश्तकारान चक 60 एफ श्रीकरणपुर
5. **चरणदास** पुत्र श्री देवीदयाल काश्तकारान चक 60 एफ श्रीकरणपुर

बनाम

1. **अधिशाषी अभियनता** जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर
2. **अधीक्षण अभियंता,** जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर
3. **पूर्णचन्द** पुत्र श्री वीरभान, काश्तकारान चक 60 एफ श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.03.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री हरजीत सिंह जोली, अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री राजेश अरोडा उपस्थित हुए। उपभयपक्ष को सुना गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2022 से अधिशाषी अभियंता के आदेश दिनांक 13.11.2010 एवं अधीक्षण अभियंता के आदेश दिनांक 28.06.2011 को खारिज कर, माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रार्थीगण यह प्रकरण अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के न्यायालय में दिनांक 05.04.2022 को प्रस्तुत किया था।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीयान की चक 60 एफ के मुरब्बा नं. 28 व 29 के प्रत्येक के किला नं. 1 ता 5 में खाला नाजायज ढंग से चलाया जा रहा है। इस खाल को हटाने तथा इसे स्वीकृत स्थान मुरब्बा नं. 17 व 26 प्रत्येक के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 पर चलवाने हेतु प्रार्थी ने मूल रूप से आवेदन अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर के यहां प्रस्तुत किया था, जिसके संदर्भ में नोटिस क्रमांक 12735 दिनांक 22.08.2018 जारी किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 3 से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर बिना नया खाल स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन किये व कोई फीस जमा करवाये बिना दिनांक 08.10.2008 को राजकीय अवकाश होने कारण दिनांक 22.10.2008 रखी गयी, परन्तु उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की तथा पत्रावली को कैम्प में ले जाकर दिनांक 13.11.2010 को निर्णय कर दिया गया। इस निर्णय को दिनांक 26.11.2010 को डिसपैच किया गया।

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि चक में किसी भी प्रकार से खाल परिवर्तन या नया खाल स्वीकृत करने से पूर्व राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम 1954 के अनुसार सम्बन्धित काश्तकार के द्वारा निवेदन तथा ऐसे निवेदन पर जांच फीस जमा करवायी जाकर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के उपरान्त धारा 21 से 28 की कार्यवाही पूर्ण करके ही खाल स्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रकरण में अधिशाषी अभियंता ने मन माने ढंग से बिना किसी जांच के पत्थर नम्बर 233/206 से 235/206 तक पैटीशनर की भूमि में खाल स्वीकृत किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि खाल स्वीकृत करने बाबत नोटिस अन्तर्गत नियम 4(2) राजस्थान जल सिंचन एवं निकास नियम न तो जारी किया गया और न ही कोई पत्रावली तैयार की गई। अधीक्षण अभियंता द्वारा लापरवाही पूर्ण कार्यवाही करते हुए खाला लम्बे अर्से से चलते हुए का आधार बनाकर प्रार्थीगण की अपील खारिज की गई थी।

उनका आगे यह भी कथन है कि इस प्रकरण में मनमानी करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा आदि तय करने तथा भूमि की प्रकृति में परिवर्तन हेतु जिला कलक्टर की अनुमति नहीं ली गई। यदि अधिशाषी अभियंता तकनीकी जांच में यह पाते कि उक्त खाल परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो उनके द्वारा प्रकरण तैयार कर, जिला कलक्टर को नियम 5 के प्रावधानों की पालना में भेजना आवश्यक है, जो नहीं किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिशाषी अभियंता के आदेश क्रमांक 12931 दिनांक 26.11.2010 में वर्णित किया गया है कि खाल मूल रूप से स्वीकृत है, उस पर डिग्गी या खंडवजा लगा दिया गया है, ऐसे में उनके द्वारा अतिचाारी को बिना किसी प्रावधान के प्रोटैक्शन प्रदान किया गया जबकि खाल के लिए आरक्षित स्थान को खाली करवा कर खाल चालू करवाया जाना अपेक्षित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि विभाग द्वारा किसी प्रकार की तकनीकी जांच करवाई गयी हो, ऐसे तथ्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही विभाग द्वारा कोई जांच करवाई गयी है। किसी प्रकार के लेवल आदि नहीं लिये गये है। इसके अभाव में खाल की कार्यवाही को निरस्त किया जाना विधि सम्मत है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिशाषी अभियंता द्वारा मनमर्जी से राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम और नियम के प्रावधानों की

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पालना किये बिना स्वीकृत किये गये खाल मुरब्बा नं. 28 व 29 प्रत्येक के किला नं. 1 ता 5 में पत्थर नम्बर 233/206 से 235/206 तक को निरस्त कर इसके स्थान पर स्वीकृत खाल पत्थर नम्बर 235/204 से 235/206 तक को ही चालू करवये जाने के आदेश दिये जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी चक 60 एफ के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 4, 5(10), 6, 7, 8, में 10 बिस्वा, 11 में 10 बिस्वा, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25 कुल 12.10 बीघा नहरी कृषि भूमि का कृषक है। मुरब्बा नम्बर 28 में 12.10 बीघा कृषि भूमि देवी दयाल के नाम से दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 06.09.2007 को अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर मांग की गई है कि जब से नहर आई है, मुरब्बा नम्बर 28 व 29 प्रत्येक के किला नम्बर 1 ता 5 के किला लाईन पर सरकारी खाला चल रहा है एवं उस पर नियमानुसार बाराबन्दी भी बांधी जा रही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि वर्तमान में चक 60 एफ में पक्का खाला के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए इस चालू जलमार्ग को अभिलेख में भी स्वीकृत किया जावे। इस हेतु प्रार्थी द्वारा जांच फीस राशि जरिये रसीद संख्या 047/0449891 दिनांक 16.04.2008 जमा करवाई गई और प्रकरण को मौका एवं तकनीकी जांच हेतु सहायक अभियंता करणपुर को भिजवाया गया। सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत खाला की जगह पर खंडवंजा सड़क एवं पक्की डिग्गी बनी हुई है। उक्त स्वीकृत स्थान पर जलमार्ग शुरू किया जाना सम्भव नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त श्रीमान् न्यायालय द्वारा सूचना पत्र अन्तर्गत नियम 4(2) जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 04.12.2008 नियत की गई। नोटिस तामील उपरान्त प्रार्थीगण हंसराज व अन्य भी उपस्थित आये, मगर नोटिस की जानकारी उपरान्त भी पैटीशनकर्त्ता द्वारा नोटिस अन्तर्गत नियम 4(2) को चुनौति नहीं दी गई। प्रार्थीगण द्वारा उक्त सूचना पत्र को 15 वर्षों उपरान्त चुनौति दी गई इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि चक 60 एफ के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1 ता 5 में से किला नम्बर 5 में 10 बिस्वा व किला नम्बर 4 सालम प्रार्थी का है। प्रार्थी द्वारा उक्त चल रहे खाला को स्वीकृत करने एवं उक्त बाबत मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करने हेतु सहमति पत्र दिया जा चुका

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

है एवं अन्य रकबा किला नम्बर 1, 2, 3 देवीदयाल के नाम से है। उक्त रकबा आज तक भी देवीदयाल के नाम से है जो आज तक भी देवीदयाल के वारिसान के नाम से दर्ज नहीं हुआ है। इस स्थिति में पैटीशन संख्या 2 ता 5 को पैटीशन फाईल करने एवं मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए पैटीशन खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मुरब्बा नम्बर 29 की कृषि भूमि किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में चल रहे खाला की भूमि जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में पहले से आरक्षित है। इस स्थिति में पैटीशनर मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 ता 5 में चल रहे जलमार्ग बाबत मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, जिस बाबत हरिकृष्ण, ओम प्रकाश, श्याम सुन्दर व हंसराज पिसरान लखूराम को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इसलिए नियम 21 से 28 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि पैटीशनर द्वारा चक 60 एफ की उक्त भूमि में नाजायज नाके निर्मित किये गये थे, जिसको अप्रार्थी द्वारा लम्बी कानूनी लड़ाई लड कर बन्द करवाया गया है। इसी रंजिश के कारण पैटीशनर द्वारा उक्त कार्यवाही रंजिशवश एवं गलत तथ्यों के आधार पर की जा रही हैं, इस कारण उक्त पैटीशन खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर द्वारा निर्णय दिनांक 13.11.2010 एवं अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत्त, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत अपील में निर्णय दिनांक 28.06.2011 विधिसम्मत् पारित किया गया है। इसलिए उक्त निर्णय को बहाल रखा जाकर पैटीशन खारिज करने की प्रार्थना की है।

विभागीय प्रतिनिधि ने पूर्व में विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 60 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 से 14, 17 से 24 व 25 व 15 बिस्वा तथा पैटीशनर संख्या 2 ता 5 स्व. देवीलाल के वारीसान होने व उनकी भूमि मुरब्बा नम्बर 28 में होने के तथ्य अप्रार्थीगण की जानकारी में नहीं होने व रिकॉर्ड से संबंधित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि पूर्व में मुरब्बा नम्बर 27, 28, 36 व 35 की सिंचाई हेतु विभगा के चक प्लान में खाला मंजूर हुआ था और रिकॉर्ड के अनुसार पुराने चक प्लान में पत्थर संख्या 235/204 से 235/206 तक दर्शाया गया था किन्तु खाला के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 25 व 26 में आबादी

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भूमि बस गयी थी और आबादी भूमि के मध्य खाला नहीं चल रहा है। इस प्रकार खाल के लेवलों के अनुसार मुरब्बो के सिंचाई होने के लिए खाला उचित होने के तथ्य मिथ्या प्रमाणित हैं

उनका आगे यह भी कथन है कि मुरब्बा नम्बर 28 व 29 के किला नम्बर 1 ता 5 में खाला अस्थायी तौर पर चलाये जाने के स्थान पर स्थायी तौर पर वर्षो से चलाया जा रहा था जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा एक आवेदन नियमानुसार किया गया और जब्त खाला को स्थायी करने की मांग की गयी, जिस पर विभाग द्वारा नियमानुसार नोटिस संबंधित पक्षकारों के उपस्थित होने के लिए जारी किये गये थे और दोनों पक्षकारों की सुनवाई कर ही आदेश जारी किये गये थे।

उनका आगे यह भी कथन है कि मुरब्बा नम्बर 25 व 26 के मध्य खाल के स्थान पर आबादी भूमि बसी हुई है और उक्त स्थान पर डिग्गी व खंडवजा सड़क बनी हुई हैं जिस पर उक्त डिग्गी व खंडवजा को तोड़कर आबादी भूमि के बीच में खाला बनाना बेहद ही असुविधापूर्ण कार्य है और इस प्रकार खाला बनाये जाने से आबादी भूमि द्वारा पूलिया निर्माण व अतिक्रमण से सिंचाई पानी की छीजत होगी और उक्त खाला बनाया जाने के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 28 व 29 में चल रहे खाला को ही नियमानुसार स्वीकृत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी विभाग द्वारा नये खाला/जलमार्ग को स्वीकृत नहीं किया है बल्कि पूर्व में चले आ रहे स्थायी खाल को नियमानुसार वैद्य रूप से पूर्व के खाला के स्थान को अंतरित किया हैं। विभागीय आदेश में कोई उल्लंघन नहीं हुई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मुरब्बा नम्बर 17 व 18 तथा मुरब्बा नम्बर 25 व 26 का खाल विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत किया था जब चक प्लान बनाया गया था किन्तु बाद में मुरब्बा नम्बर 25 व 26 में आबादी भूमि बस गयी और उक्त भूमि पर आबादी भूमि होने के कारण खाल का निर्माण आबादी भूमि के खंडवजा सड़क बना लेने के कारण संभव नहीं है। अप्रार्थी विभाग द्वारा खाला को परिवर्तित करते हुए सिंचाई की सुविधा मुरब्बा नम्बर 28 व 29 के किला नम्बर 1 ता 5 में बने स्थायी खाल को स्वीकृत कर की गयी है, जो किसी प्रकार से दोषपूर्ण नहीं है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन **किया तो पाया कि** खण्डीय सिंचन अधिकारी, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 13.11.2010 से निम्न आदेश पारित किया है:

> मुरब्बा नम्बर 26 में जलमार्ग स्थान पर डिग्गी व खंडवजा बना हुआ है तथा मुरब्बा नम्बर 26 व 25 आबादी क्षेत्र है। इस पर दोनों तरफ घर व घनी आबादी है। यदि इस 40 फीट चौड़ी सडक पर खाला बना दिया जाता है तो सडक अवरूद्ध हो जायेगी। लोगों को घरों से निकलने के लिए पुलिया का निर्माण करना होगा। आबादी क्षेत्र में जलमार्ग होने से जल प्रदूषण होगा और पानी की भी छिज्जत होगी। इसे रोकना मुश्किल होगा। **अतः इस जलमार्ग को चलाना व्यवहारिक नहीं है।** दूसरी तरफ मुरब्बा नम्बर 28 व 29 में स्थापित जलमार्ग है, जो लम्बे समय से कायम है। इसी खाले से वर्तमान में सुचारू रूप से सिंचाई हो रही है तथा इसमें परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं है। मुरब्बा नम्बर 28 व 29 में पिछले 60 वर्षों से यह जलमार्ग चल रहा है। मौका निरीक्षण करने व दोनों पक्षों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मुरब्बा नम्बर 17 व 26 में स्वीकृत जलमार्ग जो लम्बे समय से बन्द है तथा वर्तमान में चालू करवाया जाना सम्भव नहीं हैं। **इसलिए प्रार्थी हंसराज की इस मांग को उचित नहीं पाया गया है।** इसलिए मुरब्बा नम्बर 17 व 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत जलमार्ग व मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1 पर नाका को निरस्त किया जाता है तथा वर्तमान में मौका पर चल रहे जलमार्ग मुरब्बा नम्बर 28 व 29 के किला नम्बर 1 ता 5 में व मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 5 व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25 पर नाका स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पैटीशन राजस्थान जल सिंचन एवं निकस अधिनियम 1954 – 02/2022
(GCMS : 2022/97)
हरिकृष्ण वगै. बनाम अधिशाषी अभियंता वगै.

खण्डीय सिंचन अधिकारी, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 13.11.2010 को अधीक्षण अभियंता ने अपने आदेश दिनांक 28.06.2011 से पुष्ट किया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2022 से खण्डीय सिंचन अधिकारी के आदेश दिनांक 13.11.2010 एवं अधीक्षण अभियंता के आदेश दिनांक 28.06.2011 को निरस्त कर, प्रार्थीगण को अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया था, जिसकी पालना में प्रार्थीगण ने यह पैटीशन पेश की है।

पत्रावली के से अवलोकन किया तो पाया कि चक प्लान के अनुसार चक 60 एफ के मुरब्बा नम्बर 17 व 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में खाल (जल मार्ग) स्वीकृत है, परन्तु मौके पर मुरब्बा नम्बर 28 व 29 के किला नम्बर 1 ता 5 में लगभग 50–60 वर्षो से कच्चा जलमार्ग चल रहा है।

अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संगम, 1 एफडी की रिपोर्ट दिनांक 12.06.2023 के अनुसार चक 60 एफ के मुरब्बा नम्बर 235/204 से 235/206 मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 एवं मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 को चालू करवाया जा सकता है। उक्त रकबे का मौका स्थिति व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त जलमार्ग कटा हुआ है। अतः मुरब्बा नम्बर 17 व 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में जलमार्ग को चालू किया जा सकता है।

सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड, श्रीकरणपुर की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2024 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 17 व 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 पर प्रथम दृष्टया अतिक्रमण प्रतीत होना बताया है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 15 में बनी डिग्गी को अनुपयोगी बताया है। तथा समस्त बाधाओं (अतिक्रमण) को दूर कर दिया जाता है तो मुरब्बा नम्बर 17 व 26 में खाल का निर्माण करवाया जाना सम्भव बताया है।

इसीप्रकार खण्डीय सिंचन अधिकारी, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.02.2024 में मुरब्बा नम्बर 17 व 26 में स्वीकृत खाला हेतु आरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाये जाने की स्थिति में स्वीकृत खाल को पुनः बहाल करवाया जाना सम्भव बताया है।

राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम 1954 की धारा 21 से 28 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

21. Application for construction of new water course.

.....

22. Procedure of irrigation officer thereupon.

.....

23. Application for transfer of existing water course.

.....

24. Objection to construction or transfer applied for.

(1)Within thirty days from the publication of a notice under section 22 or section 23, as the case maybe, any person interested in the land or water course to which the notice, refers, may apply **to the Collector by petition, stating his objection to the construction or transfer for which application has been made.**

(2) **The Collector may either reject the petition or may proceed to inquire** into the validity of the objection giving previous notice to the Divisional Irrigation Officer of the place and time at which such inquiry will be held.

(3) **The Collector shall record in writing all orders passed by him under this section and the grounds thereof.**

25. When applicant may be placed in occupation.

- If no such objection is made, or (where such objection is made) if **the Collector over-rules it, he shall give notice to the Divisional Irrigation Officer and shall proceed to place the said applicant in occupation of the land marked out or of the water course to be transferred, as the case may be.**

26. Procedure when objection is held valid.

- **If the Collector considers any objection made as aforesaid to be valid,** he shall inform the Divisional Irrigation Officer accordingly, and, if such officer see fit, he may, in the case of an application under section 21, alter the boundaries of the land so marked, out and may give fresh notice under section 22.

27. Procedure when irrigation officer disagrees with Collector.

.....

28. Expenses to be paid by applicant.

.....

इसीप्रकार राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास नियम, 1955 की धारा 5 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

5. **खण्डीय सिंचाई अधिकारी द्वारा कलेक्टर को रिकॉर्ड भेजना** : खण्डीय सिंचाई अधिकरी, जब भी वह धारा 22 या धारा 23 के अन्तर्गत जांच करता है, अपनी कार्यवाही कलेक्टर को धारा 24 एवं 25 के अन्तर्गत आदेश जारी करने हेतु अग्रेषित करेगा।

मुरब्बा नम्बर 28 व 29 के प्रत्येक के किला नम्बर 1 ता 5 में पिछले लगभग 50– 60 वर्षों से खाला संचालित है, जिसे प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। चल प्लान के अनुसार मुरब्बा नम्बर 17 और 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में खाल स्वीकृत था जिसे कार्यकारी अभियंता ने व्यवहारिक नहीं माना है और मुरब्बा नम्बर 25 व 26 की भूमि वर्तमान में आबादी क्षेत्र में आ गई है, इसलिए कार्यकारी अभियंता ने मुरब्बा नम्बर 17 व 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 एवं 25 में खाला को व्यवहारिक नहीं माना है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करना आवश्यक है कि अधिशाषी अधिकारी द्वारा राजस्थान सिंचाई एवं जल निकासी अधिनियम 1954 की धारा 21 से 28 एवं राजस्थान सिंचाई एवं जल निकासी नियम 1955 की धारा 5 की पालना किये बिना ही मुरब्बा नम्बर 28 एवं 29 के प्रत्येक के किला नम्बर 1 ता 5 में खाल स्वीकृत किया है।

इस प्रकार अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर ने मुरब्बा नं 17 व 26 में पहले से स्वीकृत जलमार्ग को बंद कर, राजस्थान सिंचाई एवं जल निकासी अधिनियम 1954 की धारा 21 से 28 एवं राजस्थान सिंचाई एवं जल निकासी नियम 1955 की धारा 5 की पालना किये बिना मुरब्बा नम्बर 28 व 29 के किला नं. 1 ता 5 में गत 50–60 वर्षों से अनाधिकृत संचालित जलमार्ग को स्वीकृत किया गया है।

राजस्थान सिंचाई एवं जल निकासी अधिनियम 1954 एवं नियम 1955 के प्रावधानों पर उचित विचार करते हुए स्पष्ट रूप यह कहा जा सकता है कि नए जलमार्ग को स्वीकृति के आवेदन पर विचार करने और उस पर अंतिम आदेश पारित करने में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता ही सक्षम है। किन्तु अधिशाषी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही जलमार्ग की स्वीकृति देना अवैध, मनमाना और अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने भी अधिशाषी अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता के आदेशों को खारिज किया है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है और आदेशित किया जाता है कि वे राजस्थान सिंचाई एवं जल निकासी अधिनियम 1954 एवं राजस्थान सिंचाई एवं जल निकासी नियम 1955 में दिये गये प्रावधानों की अक्षरशः पालना करें एवं उभयपक्ष को सुनवाई का मौका देवें पुनः निर्णय पारित करें। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार खारिज किया जाता है। अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर एवं अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर का रिकॉर्ड मय आदेश की प्रति पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर